A-6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री घनश्याम शर्मा
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
177/प्रा0पत्र/17	13.04.2017	28.05.2024

सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली

– प्रार्थी

बनाम

मदन सिंह आ0 भागोता जाति दरोगा निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

–अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से– पेरोकार सरकार
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 तहसीलदार हिण्डोली ने इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 668 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम ओधन्धा आवंटन आदेश दिनांक 02.09.1973 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 03.07.2017 व दिनांक 08.11.2017 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ। इसके पश्चात अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 16.01.2018 को न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बार–बार रूक–रूककर आवाज लगवायी गयी। बावजूद सूचना के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 16.01.2018 को अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस पेरोकार सरकार समाअत की गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने अवगत किया कि अप्रार्थी मदन सिंह ने आंवटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी मदन सिंह का कब्जाकाश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा है जिससे भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के आवंटन नियमों की पालना नहीं की गयी हैं। अतः अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 668 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम ओधन्धा आवंटन आदेश दिनांक 02.09.1973 को निरस्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक किया जावे।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A 6/2

हमने बहस पेरोकार सरकार पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से आवंटित भूमि पर अप्रार्थी मदनसिंह का कब्जाकाश्त होना प्रमाणित नहीं पाया गया हैं, आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जाकाश्त होना पाया गया हैं। अप्रार्थी मदन सिंह द्वारा आवंटन नियमों में निहित शर्तों की पालना भी नहीं की गयी है। न्यायालय द्वारा आंवटी मदन सिंह को तलब किये जाने पर अप्रार्थी दिनांक 03.07.2017 व दिनांक 08.11.2017 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ। इसके पश्चात अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 16.01.2018 को न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बार–बार रूक–रूककर आवाज लगवायी गयी। बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 02.09.1973 खारिज किया जाता हैं। विवादित आराजी को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे। अधिनस्थ न्यायालय की निर्णय पत्रावली मय निर्णय के भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

अति. जिला कलक्टर,
बूंदी